राजस्थान सरकार
निदेशालय, स्थानीय निकाय राज. जयपुर
जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक के पास, सी–स्कीम, जयपुर–302015

क्रमांकः एफ 55 ( )अभि./सीई/डीएलबी/2017/ 23701–892 दिनांकः– 21/11/2017

आयुक्त, नगर निगम समस्त

आयुक्त, नगर परिषद समस्त

अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका समस्त।

विषयः– स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत शौचालयों के निर्माण कर राज्य को दिसम्बर 2017 तक खुले मे शौच से मुक्त घोषित करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के दिशा–निर्देशो के अनुसार घरेलू शौचालयों का निर्माण, जिन घरो मे जगह का अभाव है उनके लिए सामुदायिक शौचालयों का निर्माण तथा स्लम एरिया, बस स्टेण्ड रेल्वे स्ट्रेशन मार्केट इत्यादि स्थानो पर सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। घरेलू शौचालयों का निर्माण लाभार्थियो के द्वारा नही करने की स्थिति में ठेकेदार के माध्यम से करवाया जा रहा है।

विभाग द्वारा प्रिकास्ट घरेलू शौचालयों/सामुदायिक शौचालयों/सार्वजनिक शौचालयों की दरे निर्धारित कर आपको भिजवायी गई है। (पत्र संलग्न है) आपके शहर मे आवश्यकतानुसार घरेलू शौचालय, सामुदायिक शौचालयों, सार्वजनिक शौचालयों प्रिकास्ट यूनिट लगवाकर किये जा सकते है। जिस हेतु आपकी फर्म को LOA जारी कर तय समय सीमा मे प्रिकास्ट शौचालय लगवाये जावें।

घरेलू शौचालयों की Precast unit जिन घरो मे जगह उपलब्ध है वही पर लगवाई जावें। सामुदायिक/सार्वजनिक/शौचालयो हेतु प्रतिसीट की दरे अनुमोदित है जिनके आधार पर आवश्यकतानुसार सीटस लगवाई जावें। घरेलू शौचालयों हेतु Precast unit का उपयोग सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों की सीट मे ही किया जावें।

भारत सरकार एवं राज्य सरकार के प्रति सीट VGF रूपये 52267 दिया जा रहा है। जिस हेतु आप अपनी डीपीआर प्लान निदेशालय को भिजवाये जिससे उसको HPL की आगामी बैठक मे अनुमोदन करवाया जावें।

अतः आप आवश्यकतानुसार घरेलू शौचालयों हेतु Precast IHHL तथा CT/PT हेतु Precast unit के आधार पर शौचालयो को स्थापित करवाकर निकायों को दिसम्बर 2017 से पूर्व खुले से शौच से मुक्त घोषित करावें।

(पवन अरोडा)
निदेशक एवं सयुक्त सचिव

क्रमांकः एफ 55 ( )अभि./सीई/डीएलबी/ 23893–945 दिनांक 21/11/2017

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।

2. विशिष्ट सचिव माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) आवासन एंव शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक स्वच्छता।
7. जिला कलेक्टर समस्त
8. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय।
9. निजी सहायक मुख्य अभियंता निदेशालय।
10. निजी सहायक मुख्य लेखाधिकारी निदेशालय।
11. उपनिदेशक क्षेत्रीय समस्त
12. प्रोगामर निदेशालय विभागीय बेवसाइट पर अपलोड किया जाने हेतु
13. सुरक्षित पत्रावली।

(भुपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता